निर्णय बइजालास मनीषा तिवारी (आर.ए.एस.) उपखण्ड अधिकारी झालावाड़ (राज0)

प्रकरण सं 502/2014
वाद दायरा 775/2019

तारीख दायरा 30.01.2014
तारीख दायरा 30.12.2019

उनवान

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार तहसील झालरापाटन

––प्रार्थी

बनाम

नन्द किशोर, रामस्वरूप, कंवरलाल, भंवरलाल पुत्र रामनारायण, लीला बाई पुत्री रामनारायण, सुन्दर बाई पत्नी स्व0 रामनारायण जाति भील निवासी झालावाड़ तह0 झालरापाटन

––अप्रार्थीगण

वाद अन्तर्गत 177–178 आरटी एक्ट
उपस्थिति– तहसीलदार तह0 झालरापाटन – प्रार्थी
विद्वान अभिभाषक श्री प्रवीण वर्मा (अप्रार्थीगण)

निर्णय

निर्णय दिनांक – 08.01.2020

संक्षेप में प्रार्थना–पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि तहसीलदार झालरापाटन ने एक वाद/दावा अन्तर्गत आरटी एक्ट धारा 177–178 के अन्तर्गत पेश किये जिसमें ग्राम धनवाड़ा की खाता संख्या नया 36 पुराना 36 की खसरा न0 33 रकबा 2 बीघा 2 बिस्वा, खसरा न0 34/468 रकबा 1 बीघा 9 बिस्वा नन्दकिशोर, रामस्वरूप, कंवरलाल, भंवरलाल पुत्र रामनारायण, लीला बाई पुत्री रामनारायण, सुन्दर बाई पत्नी स्व0 रामनारायण जाति भील निवासी झालावाड़ तह0 झालरापाटन के खाते दर्ज रिकार्ड थी जिसे मान0 न्यायालय के द्वारा निर्णय दिनांक 25.11.2014 को पटवारी रिपोर्ट एवं भूमिधारी तहसीलदार झालरापाटन की रिपोर्ट के आधार पर उक्त प्रश्नगत आराजी का प्रतिवादीगणों द्वारा कृषि कार्य न करके अकृषि कार्य में उपयोग लाने के फलस्वरूप एकपक्षीय कार्यवाही कर सिवाय चक घोषित कर राज्य सरकार के खाते दर्ज कर दी गई थी। इससे आहत होकर प्रतिवादी के विद्वान अभिभाषकगण के द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा ऑर्डर 9 रूल 13 धारा 114, 144 एवं धारा 151 सीपीसी बाबत एक्सपार्टी डिक्री व निर्णय सेटासाईट किये जाने बाबत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। जिसे दर्ज प्रकरण से सम्बन्धित पत्रावली संख्या 502/दावा/2014 राजस्थान सरकार बनाम नन्दकिशोर वगैरा रेकार्ड से तलब की गई तथा प्रकरण वाद दायरा किया जाकर सुनवाई प्रारम्भ की गई। दौरान–ए सुनवाई प्रतिवादी गण ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा ऑर्डर 9 रूल 13 धारा 114, 144 एवं धारा 151 सीपीसी प्रस्तुत कर पूर्ण पारित एकपक्षीय निर्णय दिनांक 25.11.2014 को एक तरफा निर्णय को पूणः नये सिरे से निर्णय पारित करने के लिए प्रस्तुत किये जो शामिल पत्रावली है। जिस पर उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई जिस पर विद्वान अभिभाषकगण अप्रार्थीगण श्री प्रवीण वर्मा ने अपनी बहस में तर्क दिये कि अप्रार्थीगण के विरूद्ध मान0 न्यायालय ने अप्रार्थीगण को बिना सुने तथा बिना युक्तियुक्त समय का अवसर दिये एकतरफा निर्णय पारित किया है जो विधिसम्वत् नहीं तथा प्रार्थी खातेदार के खातेदारी के विधिक अधिकारों का हनन है तथा न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत है अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आर्डर 9 रूल 13 धारा 114, 144 एवं धारा 151 सीपीसी स्वीकार कर प्रश्नगत आराजी की पूर्वानुसार यथास्थिति रखी जाकर अप्रार्थीगण के खाते दर्ज की जावे ताकि अप्रार्थीगण को न्याय प्राप्त हो सके तथा न्यायिक सिद्धान्तों की सुरक्षा हो सकें क्योंकि वर्णित आराजी में मौंक पर

उपखण्ड अधिकारी

P.T.O –

मुड़िया गाढकर आवासीय प्लानिंग नहीं की गई है भूमिधारी तहसीलदार द्वारा दिनांक 18.01.2014 को जो मौका निरीक्षण प्रस्तुत किया है वह अप्रार्थीगण की मौजूदगी में नहीं किया गया है तथा बनावटी तथ्यों के आधार पर किया गया है इस प्रकार अप्रार्थीगण ने किसी भी तरह से कृषि शर्तों का उल्लंघन नहीं किया गया इसलिए पूर्व में पारित निर्णय दिनांक 25.11.2014 नये सिरे से पारित कर अप्रार्थीगण को न्याय प्रदान करें यदि भविष्य में कृषि भूमि का अकृषि उपयोग करूंगा तो मान0 न्यायालय जो भी निर्णय पारित करेगाा उसकसी अक्षरतः पालना सुनिश्चित की जावेगी तथा कृषि से अकृषि कार्य करने पर नियमानुसार आराजी का संपरिवर्तन कराने को प्रतिबद्ध रहूगा तथा समस्त कृषि शर्तों की पालना करूंगा। विद्ववान अभिभाषक ने इसी सन्दर्भ में नजीर फातीमा खातून बनाम स्वरुप सिंह ए0आई0आर0 1984 कलकत्ता 257 का पेश की जिसके तहत एक पक्षीय निर्णय की पुनः स्थापना का प्रावधान है इसी सन्दर्भ में विद्ववान अभिभाषक ने मान0 उच्चतर न्यायालयों के पूर्व दृष्टान्त :–state of Gujrat v/s Essar Oil, Neelathpara kummi seethe koya phangal (dead) by LRs. v/s Montharapalla padippua Attakoya, AIR 1994 SC 1591, Chhota singh v/s union of India, AIR 1993 P&H 79: 1993 (2) Land LR 77, Chanda sab v/s Jamshed khan, AIR 1993 Kant, Cheni Chenchaiah v/s Shaikh Ali Saheb, AIR 1993 AP 292: 1993 (2) Andh LT 517: 1993 (2), Union Carbide Corporation entitled to restitution of entrie amount deposited with interest: Union Carbide Corportion v/s Union of India, AIR 1992 SC 248, Chinnamal v/s P.Arumugham, Al 1990 SC 1828 Gaya Prasad v/s State 1955 RRD 41, koja v/s State 1973 RRD 476, State v/s Bhanwar lal 1970 RRD 134, Deepa v/s State 1996 RBJ 213(SC): 1996 RRD 535: को भी उल्लेखित किया है। हाल ही में माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर खण्डपीठ ने प्रकरण : अपील/डिक्री/टीए/758/2015/झालावाड़ निर्णय दिनांक 03.08.2015 में, व प्रकरण अपील/ डिक्री/टीए/757/2015/झालावाड़ निर्णय दिनांक 03.08.2015 तथा अभी हाल ही में माननीय राजस्व मण्डल द्वारा निगरानी/टीए/3845/2016/झालावाड़ कन्हैया शारदा बनाम सरकार, निगरानी/टीए/3848/2016/झालावाड़ फर्म भंवरलाल, मदनलाल बनाम सरकार निगरानी/टीए/3847/2016/झालावाड़ कन्हैया शारदा व अन्य बनाम सरकार, निगरानी/टीए/3846/झालावाड़ राजेश कुमार बनाम सरकार के निर्णय इस सन्दर्भ में उच्चतर न्यायालय द्वारा पारित न्यायिक पूर्ण दृष्टान्त (Judicial Precedent) आदेश दिया है कि ऐसे मामलों में प्रतिवादी–अपीलान्ट/प्रार्थी को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए उनकी मौजूदगी में मौका निरीक्षण धारा 177–178 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के मध्यनजर रखकर प्रकरणों का निस्तारण के आदेश है साथ ही विद्वान अभिभाषक ने यह तथ्य भी उजागर किया कि परीक्षण न्यायालय द्वारा धारा 178 के तहत समुचित दिवसों को अवसर नहीं दिया जबकि धारा 178 के तहत कम से कम तीन माह का समय देने का विधिक प्रावधान है जिसे न्यायहित में और बढाया जा सकता है जिसकी भी स्पष्ट अवहेलना इस निर्णय में कारित हुई अतः अप्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर राहत प्रदान करें।

पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड भूमिधारी तहसीलदार के वाद में अंकित अभिवचन, पटवारी हल्का की मौका रिपोर्ट दिनांक 18.01.2014 तथा विद्वान अभिभाषक श्री प्रवीण वर्मा

उपखण्ड अधिकारी
झालावाड़ (राज.)

P.T.O

की बहस व इस सन्दर्भ में पेश माननीय उच्चतर न्यायालयों के पूर्व न्यायिक निर्णयों का, प्रार्थना पत्र अन्तर्गत ऑर्डर–9 रूल–13 धारा 114, 144 एवं धारा 151 सीपीसी के प्रावधानों के सन्दर्भ में अवलोकन किया गया उसके तहत अप्रार्थी **निहित विधिक प्रक्रिया के तहत** राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 178(2) के प्रावधानों में विहित आदेश की तारीख से अधिकतम अवधि–3 माह में, इस हेतु राज्य सरकार द्वारा निर्धारित सक्षम प्राधिकारी/कार्यालय में भूमि संपरिवर्तन का विधिक प्रावधान है।

पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड, वादी भूमिधारी–तहसीलदार की रिपोर्ट के अवलोकन तथा विद्वान अभिभाषक की बहस सुनने के पश्चात प्रथम दृष्टतया इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि माननीय न्यायालय द्वारा पूर्व में प्रसारित एक पक्षीय निर्णय दिनांक 25.11.2014 प्रार्थना पत्र ऑर्डर–9 रूल–13 धारा 114, 144 एवं धारा 151 सीपीसी विधिवत सुनवाई के आधार पर स्वीकार की जाती है तथा आदेश है कि ग्राम धनवाड़ा पटवार मण्डल दुर्गपुरा में खतौनी संख्या नई 36 पुरानी 32 खसरा न0 33 की रकबा 2 बीघा 2 बिस्वा, खसरा न0 34/468 रकबा 1 बीघा 9 बिस्वा आराजी को सिवाय चक सरकार से पृथक कर निर्णय दिनांक 25.11.2014 से पूर्व की यथास्थिति बनाए रखते हुए अप्रार्थीगण के खाते में दर्ज रिकॉर्ड कर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामत किया जावे अगर अप्रार्थीगण प्रश्नगत आराजी का अकृषि कार्य हेतु उल्लंघन करता है या कृषि शर्तों की अवहेलना पाई जाती है तो हम अप्रार्थीगण को न्यायहित में प्रतिवादी को यह अवसर प्रदान किया जाना उचित समझते है कि वह विदित प्रक्रिया के तहत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम –1955 की धारा –178(2) एवं भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90–ए के प्रावधानों व राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जारी परिपत्रों में विदित आदेश की तारीख से 3 माह की अवधि में इस हेतु राज्य सरकार द्वार निर्धारित सक्षम प्राधिकारी/कार्यालय में संपरिवर्तन का आदेश प्रस्तुत करें, यदि निर्धारित अवधि में संपरिवर्तन/भूमि रूपान्तरण की कार्यवाही प्रतिवादी द्वारा प्रारम्भ नहीं की जाती है तो भूमिधारी तहसीलदार उक्त भूमि को पुनः निर्णय की अवहेलना में बहकराज लेकर सिवायचक खाता सरकार में दर्ज करें। तहसीलदार झालरापाटन सम्बन्धित निर्णय से प्रतिवादी को सूचित करावें।

(मनीषा तिवारी)
उपखण्ड अधिकारी
झालावाड़ (राज.)

निर्णय आज दिनांक 08.01.2020 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया। विधिवत प्रक्रिया अनुसार निर्णय की प्रति भूमिधारी – तहसीलदार झालरापाटन को पालनार्थ प्रेषित हो प्रकरण फैसल में शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर रहे फर्द डिक्री जारी हों।

(मनीषा तिवारी)
उपखण्ड अधिकारी
झालावाड़ (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Manisha Tiwari
Date: 2020.01.30 12:40:00 IST
Reason: SelfAttested
Location: